SCOTTISH EXECUTIVE

न्याय विभाग
अपराधिक न्याय समूह

St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh EH1 3DG

टेलीफोन: 0131-244 2131
फेक्स: 0131-244 2121
Micheline.Brannan@scotland.gsi.gov.uk
http://www.scotland.gov.uk

आपका संदर्भ:
हमारा संदर्भ:

11 दिसम्बर, 2002

प्रिय परामर्शी

न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के कार्य व्यवहार व कार्यविधियों की समीक्षा

मैं आपको न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के कार्यव्यवहार व कार्यविधियों की समीक्षा सम्बन्धी माननीय लॉर्ड बोनोमी की 2002 की रिपॉर्ट प्राप्त कराने के लिए लिख रहा हूँ। उप प्रथम मन्त्री ने आज रिपॉर्ट प्रकाशित की है और स्कॉटिश संसद में घोषणा की है कि वह न्यायपालिका व अपराध सम्बन्धी न्याय व्यवस्था में रुचि रखने वाली या इसमें शामिल संस्थाओं तथा साथ ही साथ जनता से सामान्य रूप से इन प्रस्तावों पर विचार प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत परामर्श प्रयोग का सूत्रपात कर रहे हैं।

लॉर्ड बोनोमी ने पहले ही इस रिपॉर्ट को तैयार करने में विस्तृत सलाह-मशविरा किया है तथा विभिन्न मुख्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संदर्भ समूह का लाभ लिया है। हम इस रिपॉर्ट का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि यह उच्च न्यायालय की कार्य कुशलता में सारभूत सुधार के लिए आधार बनेगी, परन्तु, इसको लागू करने की तरफ बढने से पहले, हम और औपचारिक रूप से परामर्श करना चाहते हैं।

जैसा कि इस रिपॉर्ट में इंगित किया गया है, लॉर्ड बोनोमी ने अपराधिक मुकदमों की प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता लाने तथा जनता को होने वाली असुविधा व तकलीफ को कम करने के लिए एक सुसंगत योजना तैयार करने का प्रयास किया है। इस योजना के तीन मुख्य आयाम हैं - उच्च न्यायालय व शैरिफ न्यायालय के बीच न्याय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना, ताकि उच्च न्यायालय गम्भीर अपराधों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके, '110 डे रूल' का आधुनिकीकरण, और उच्च न्यायालय में अनिवार्य प्रारम्भिक सुनवाइयों व मुकदमे की नियत तिथियों को शामिल करना ताकि स्थगन की जरूरतों को सीमित किया जा सके। न्याय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए प्राथमिक विधान पहले से ही अधिनियम पुस्तक में है, अन्य मुख्य आयामों को लागू करने के लिए प्राथमिक विधान की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से प्रस्तावों के इस पैकेज पर आपके विचारों में हमारी रुचि है।

INVESTOR IN PEOPLE
POSITIVE ABOUT DISABLED PEOPLE

लॉर्ड बोनोमी ने बहुत सी अन्य सम्बन्धित सिफारिशें की हैं और गवाह उपस्थिति पत्र, साक्ष्य, उच्च न्यायालय की अवस्थिति, न्यायालय प्रशासन व समय सारिणी बनाना, कानूनी सहायता, सामाजिक पूछताछ रिपॉर्ट, प्रोद्यौगिकी का प्रयोग तथा न्यायपालिका की भूमिका जैसे मामलों पर भी प्रस्ताव रखे हैं। इनमें से कुछ प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा लागू किये जा सकते हैं और जहां पर सम्भव हो कार्यपालक गैर-विवादास्पद प्रस्तावों को प्राथमिक विधान से पूर्व ही लागू कर देंगे। उदाहरणार्थ, सिफारिश 2 (एफ) के सम्बन्ध में, क्राउन ऑफिस को व राजवित्तीय सेवा के उपापक को पूर्व ज्ञान प्रक्रिया को सुधारने हेतु संसाधन पहले से ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इससे पहले कि आप परामर्श के प्रति आपना प्रत्युत्तर दें, न्याय विभाग के अधिकारियों को आपकी संस्था से मिलकर अत्यन्त हर्ष होगा। यदि आपको यह मददगार लगे तो मिसेज मोइरा रैमेज को आपकी सहायता करके खुशी होगी। उनसे 0131 244 2458 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

रिपॉर्ट पर सामान्य टिप्पणियों के साथ साथ, हमें अध्याय 20 की वैयक्तिक सिफारिशों पर विस्तृत टिप्पणियों में रुचि होगी। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने प्रत्युत्तर रिकॉर्ड कराने के लिए स्कॉटिश कार्यपालक वेबसाइट http://www.scotland.gov.uk/library5/justice/rppj-28.asp पर इलेक्ट्रोनिक फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया को bonomy.consultation@scotland.gsi.gov.uk. को ई-मेल कर सकते हैं। न्याय विभाग द्वारा तैयार किया गया रिपॉर्ट का कार्यकारी सारांश भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आप उक्त नम्बर पर मोइरा रैमेज से सम्पर्क करके प्रश्नावली की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रत्युत्तर निम्नलिखित को भेजे जा सकते हैं:

Mrs M Ramage
Scottish Executive
Justice Department
Criminal Procedure Division
1WR
St Andrew's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

सामान्य कार्य व्यवहार के अनुसार प्रत्युत्तर जन सामान्य को उपलब्ध कराये जायेंगे। फिर भी, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रत्युत्तर, अथवा इसका कोई अंश गोपनीय रखा जाये तो कृपया इसको स्पष्टतया इंगित करें और यह हमें मान्य होगा।

परामर्श अवधि - 11 अप्रैल, 2003 तक है।

भवदीय

मिसेज एम ब्रानन